



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092024-256959
CG-DL-E-06092024-256959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]

नई दिल्ली शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946

No. 501]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 543(अ)—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) नियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) नियम, 2018 में, नियम 11 के उप नियम (1) में, "चार लाख पचास हजार रुपये", शब्दों के स्थान पर "पांच लाख बासठ हजार पांच सौ रुपये" शब्द; और "चार लाख रुपये", शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपये" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

[फा. सं. एनएफआरए-01/2/2021-कॉम्प-एमसीए (भाग-1)]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संसंख्या सा.का.नि. 262(अ) द्वारा तारीख 21 मार्च, 2018 को प्रकाशित की गई थी और संसंख्या सा.का.नि. 165(अ) द्वारा तारीख 28 फरवरी, 2022 को अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th September, 2024

G.S.R. 543(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018, in sub rule (1) of rule 11, for the words "four lakh fifty thousand rupees", the words "five lakh sixty two thousand five hundred rupees"; and for the words "four lakh rupees", the words "five lakh rupees" shall be substituted, respectively.

[F. No. NFRA-01/2/2021-Comp-MCA (Part-1)]

INDERDEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 262(E), dated 21st March, 2018 and last amended vide G.S.R. 165(E), dated 28th February, 2022.